प्रेस नोट दिनांक 21.04.2026

जनपद बरेली।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली द्वारा थाना भोजीपुरा के गौकशी के प्रकरण में 03 वांछित अभियुक्तों पर ₹20-20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 29.03.2026 को थाना भोजीपुरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता गुड्डी पत्नी यामीन उर्फ मोती नि० ग्राम सैदपुर चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा जिला बरेली के घर से गोवंशीय पशु का मांस करीब 135 किलो व गौकशी करने के उपकरण एक कुल्हाडी, दो छुरी, एक तौलने का कांटा (इलेक्ट्रोनिक) व दो रस्सी सहित गिरफ्तार किया गया। मौके से अभियुक्ता गुड्डी उपरोक्त के तीनो लड़के 1. रिजवान पुत्र यामीन उर्फ मोती 2. फईम पुत्र यामीन उर्फ मोती 3. अजीम पुत्र यामीन उर्फ मोती निवासीगण ग्राम सैदपुर चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा जिला बरेली अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 190/26 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त घटना में संलिप्त निम्न अभियुक्त घटना के पश्चात से फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली द्वारा उपरोक्त प्रकरण में वांछित निम्न अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किए जाने हेतु **पुरूस्कार/ईनाम घोषित** किया गया है।

विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	अपराधी का नाम	अपराध जिसमें वांछित है	पुरस्कार की धनराशि
1	रिजवान पुत्र यामीन उर्फ मोती निवासी ग्राम सैदपुर चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।	मु0अ0सं0 190/26 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना भोजीपुरा, बरेली।	20,000 रु0/-
2.	फईम पुत्र यामीन उर्फ मोती निवासी ग्राम सैदपुर चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।	मु0अ0सं0 190/26 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना भोजीपुरा, बरेली।	20,000 रु0/-
3.	अजीम पुत्र यामीन उर्फ मोती निवासी ग्राम सैदपुर चुन्नीलाल थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।	मु0अ0सं0 190/26 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना भोजीपुरा, बरेली।	20,000 रु0/-